

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या 12/12/2021 रजि० न० 2021/29 प्रवेश तिथि 04.02.2021 निर्णय दिनांक 29.06.2021

01. राजबहादुर जागा पुत्र श्री पूरणमल जागा जाति— जागा, निवासी—रैणी, तहसील—रैणी, जिला अलवर राज० —अपीलांट

बनाम

01. तहसीलदार रैणी, जिला अलवर। —रैस्पो०

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी दिनांक 18.12.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 05/2019

उपस्थित:—

01—श्री गणपत सिंह नरुका

02—पैरोकार सरकार

—वकील अपीलाण्ट

—वकील रेस्पोडेन्ट

—:निर्णय:—

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 18.12.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम रैणी की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने के आदेश से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।


विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि जिस आराजी पर तहसीलदार रैणी ने उनके विरुद्ध 91 एल० आर० एक्ट के तहत नोटिस जारी करके अतिक्रमी माना है उसके संबंध में कथन किया है कि वह आबादी की भूमि है तथा ग्राम पंचायत रैणी ने उसका पट्टा जारी किया है तथा अपीलान्ट श्री राजबहादुर जागा ने यह जमीन श्री जगन्नाथ पुत्र भगवान से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 29.09.1975 को खरीद की है जिसकी रजिस्ट्री की नकल भी पेश की है।

आगे कहा कि तहत अदालत ने बिना तथ्यों के जाने तथा अपीलांट के बिना सुने तथा बिना नक्शा मिलान किये तथा किस भूमि को अवाप्त किया है किसको नहीं तथा उसका नक्शे में क्या तरमीम है को जाने बिना ही बेदखली का आदेश पारित किया है।

आगे कहा कि प्रकरण में पूर्व में भी अपीलांट के विरुद्ध 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये तहसीलदार रैणी द्वारा आदेश पारित किये थे जिसे अति० जिला कलक्टर अलवर ने अपने आदेश दिनांक 30.09.1983 से निरस्त किये थे। इस प्रकार कहा कि किस आधार पर बिना अपीलांट के सुने, बिना रिकॉर्ड व साक्ष्य का अवलोकन किया विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती के है।

हमने उक्त सभी तथ्यों व बहस पर गौर किया। प्रकरण में रिट का बिन्दु है अतः मियाद अधि० के प्रार्थना पत्र को उनके दिये गये तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम पंचायत रैणी को आबादी में हस्तान्तरित की गयी है तथा रैणी ग्राम०पं० ने उक्त आराजी रकबा को श्री जगन्नाथ पुत्र भगवान के आबादी के रूप में पट्टा जारी किया है। अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उक्त आबादी आराजी से खरीद किया है।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज०)

निर्णय हेतु निम्न बिन्दुओं पर गौर किया जाना आवश्यक है।

1. अपीलांट को उक्त भूमि जिस पर वह काबिज है, पर ग्राम पंचायत का आबादी का पट्टा है को ऐसी स्थिति में आबादी में पीडब्ल्यूडी की सीमा कितनी होनी चाहिए। इस पर टिप्पणी की जानी आवश्यक है।
2. उक्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर खरीद किया गया है तो क्या अपीलांट को हक-हकूक के लिए क्यों नहीं सुना गया है।
3. सडक के लिए भूमि अधिग्रहण क्या आबादी में से किया गया है या बिना आबादी की आराजी से किया गया है। यह बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है।
4. अवाप्त की गई भूमि के कौन-कौनसे खसरा नं. से कितना कितना रकबा लिया है तथा क्या नक्शे में उसके आधार पर तत्काल समय में कोई तरमीम की है। इस पर टिप्पणी आवश्यक है।
5. क्या अपीलांट की आराजी अवाप्त की गई है तो क्या अपीलांट को कोई मुआवजा दिया है?
6. वर्तमान सडक राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित पूर्व नक्शे के आधार पर बनी है या अवाप्त शुदा आराजी में से होकर बनी है या अवाप्त शुदा आराजी से अलग रोड बना है। इस बिन्दु पर रिकॉर्ड से टिप्पणी आवश्यक है।
7. यदि अवाप्त शुदा आराजी के रास्ते से हटकर वर्तमान सडक है तो क्या इस आधार पर कोई अतिक्रमण माना जावेगा। यह कानूनी बिन्दु है तय किया जाना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत न्यायालय तहसीदार रैणी का ओदश दिनांक 18.12.2019 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त बिन्दुओं को रिकॉर्ड व साक्ष्य से तय करके गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 29.06.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमल राम मीना)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)